

सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग एवं जागीर विभाग राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

केवल कार्यालय उपयोग हेत्

आमुख

राजस्व प्रशासन में भू-प्रबन्ध विभाग एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के माध्यम से सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं तरमीम सर्वेक्षण कर राज्य के भू-अभिलेख एवं राजस्व नक्शों को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। इस कार्य से विभिन्न राजकीय विभागों की भूमि आधारित विभिन्न योजनाओं यथा नहर, सड़क, पुल, रेल्वे लाईन, बांध आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपितु काश्तकारों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में भी भू-प्रबन्ध विभाग का सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भूमि-सीमांकन सम्बन्धी जटिल प्रकरणों में विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में 4 वर्कस्टेशन की स्थापना की जाकर उनमें सम्पूर्ण राज्य के नक्शों की स्कैनिंग तथा स्केल परिवर्तन का कार्य किया गया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण / अभिलेखन कार्य की जांच का कार्य विभाग के चारों वर्कस्टेशन पर किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय पर भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित हैं, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार सेवा के अधिकारीगण एवं अमीन / पटवारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कुल 11 जिलों एवं जिला अजमेर की 4 तहसीलों में सर्वेक्षण कार्य आधुनिक तकनीक सर्वेक्षण / अभिलेखन हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। सर्वे की कार्यवाही के तहत बाह्य एजेन्सियों द्वारा प्राउण्ड कन्ट्रोल पॉईन्ट (GCP) कायम किये जा चुके हैं।

मुझे आशा है कि भू-प्रबन्ध विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 समस्त सम्बन्धितों के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

(आनन्द कुमार) प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार भू-प्रबन्ध विभाग विभाग का संक्षिप्त प्रतिवेदन

प्रस्तावना:

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आबादी का बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योग-धन्धे रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की निरन्तर प्रवृति, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन भूमि हस्तान्तरण, पंजीयन, वित्तीय एवं भूमि आधारित योजनाओं की क्रियान्वित के सन्दर्भ में भू-अभिलेखों का निरन्तर सही आदिनांक होना नितान्त आवश्यक है। कृषकों का भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही तरीके से आदिनांक होना अत्यन्त आवश्यक है। भू-अभिलेखों का आदिनांक करने सम्बन्धी कार्य भू-अभिलेख विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित भू-अभिलेख का कार्य समय-समय पर सम्पन्न कराया जाता रहा है। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भू-राजस्व राजकीय आय का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, फिर भी भूमि समस्त आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्द है।

विभाग का संगठन:

भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर के विभागाध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासिनक सेवा का है जिसका पदनाम भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सिचव राजस्थान, जयपुर है। भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के लिए भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक भू-अभिलेख है। भू-प्रबन्ध आयुक्त के अधीन कार्य के सफल संचालन के लिए एक पद अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त का है। इसी प्रकार वर्तमान में 11 भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, सीकर एवं कोटा मुख्यालय पर संचालित हैं। भू-प्रबन्ध अधिकारियों के पद राजस्थान प्रशासिनक सेवा के हैं। भू-प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता हेतु राजस्थान प्रशासिनक सेवा के 6 एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा के 37 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। विभाग में 16 सदर मुन्सिरम, 178 निरीक्षक व 715 भू-मापकों के पद स्वीकृत हैं।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा राजस्थान राजस्व (भू-अभिलेख, भू— प्रबन्ध एवं उपनिवेशन विभाग) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू किये जाने पर इस विभाग में सृजित भू-मापक एवं निरीक्षक के रिक्त पदों को डाईंग कैडर (Dying Cadre) घोषित किए जाने के फलस्वरुप इस विभाग में 470 पद पटवारियों के पदनाम से सृजित किये जाने पर उक्त पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्तर पर विचाराधीन है।

भू-प्रबंध विभाग में मुख्यालय स्तर पर वर्कस्टेशन एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की हुई है। अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त, भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के पदेन प्रभारी प्राचार्य है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का बजट भी पृथक से आवंटित था, किन्तु दिनांक 01.03.2002 से उक्त वर्कस्टेशन एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान मुख्य कार्यालय में समायोजित होने से अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त का पद नाम अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन प्रधानाचार्य, भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हो गया है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक का एक पद राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी का प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत है।

भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां

राज्य में भू-प्रबन्ध का कार्य तहसील क्षेत्र के ग्राम स्तर पर सम्पन्न कराया जाता है। राज्य में कुल 339 तहसीलें हैं। वर्तमान में भू-प्रबन्ध संक्रियाधीन 19 तहसीलें अधिसूचित हैं। इन 19 तहसीलों में से 6 तहसीलों की भू-प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं। शेष तहसीलों के अधिकांश ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। आंशिक ग्रामों का कार्य जैरकार चल रहा है जिनकी कार्य स्थित निम्नानुसार है : -

भू-प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों में कार्य की स्थिति का ब्यौरा (सूचना संकलन दिनांक 31.12.2020)

					10.	1 6 2 2
क्र.सं.	नाम भू-प्रबंध	जिला	तहसील	कुल	क्लोजिंग	कार्य की स्थिति
	अधिकारी पार्टी			योग	ग्राम	
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	दौसा	लालसोट,	323	100	100 ग्रामों का रिकॉर्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द, 221 ग्रामों
			रामगढ़-पचवारा			को यथास्थिति में बंद करने के प्रस्ताव एवं 2 ग्रामों के पूर्णतया
						बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं।
			किशनगढ़,	177	-	175 ग्रामों में तरमीम / सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है । शेष कार्य
	अजमेर	अजमेर	अराई,			विभिन्न स्तर पर जैरकार है। 2 ग्राम सर्वे से शेष घनी आबादी
2.	अजमर	अजमर	रूपनगढ़			के कारण यथा स्थिति बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित
						किये हुए हैं।
			बैर	162	160	160 ग्रामों का रिकॉर्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 2 ग्राम बदर
			भुसावर			के कारण जैरकार।
3.	भरतपुर	भरतपुर	रूपवास	164	159	159 ग्रामों का रिकॉर्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द है, 3 ग्रामों के
						बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए हैं। 2 ग्राम
						बदर के कारण जैरकार।
4.	बीकानेर	बीकानेर	लूनकरणसर	119	118	1 ग्राम में अभिलेखन कार्य जैरकार एवं 118 ग्रामों का रिकॉर्ड
						राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द ।
			बीकानेर	13	5	शेष 8 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार।
				(12 + 1)		
5.	सीकर	नागौर	डीडवाना	198	197	1 ग्राम का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
			मकराना	137	-	24 ग्रामों में तरमीम / सर्वेक्षण पूर्ण, शेष ग्रामों में कार्य जैरकार
						। विड्रा हेतु प्रस्तावित ।
6.	कोटा	बारां	किशनगंज	213	207	6 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
			मुण्डावर	147	142	5 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
7.	अलवर	अलवर	किशनगढ़बास	115	-	29 ग्रामों की मिसल बंदोबस्त तैयार, शेष 86 ग्रामों का कार्य
						विभिन्न स्तर पर जैरकार है। यथा स्थिति बंद के प्रस्ताव राज्य
						सरकार को प्रेषित किये हुए हैं।
8.	टोंक		खण्डार	134	-	85 ग्रामों में सर्वे / तरमीम कार्यवाही पूर्ण। कार्य विभिन्न स्तर
						पर जैरकार । 49 ग्रामों में सर्वे / तरमीम शेष । विड्रा हेतु
		सवाईमाधोपुर				प्रस्तावित है।
			बौंली	180	179	भेड़ोली का पुन: सर्वे हेतु मार्गदर्शनचाहा गया है। 1 ग्राम
			(मलारनाडूंगर)			मलारनाडूंगर का अभिलेखन कार्य शेष।
9.	जोधपुर	सिरोही	रेवदर	-	-	अभिलेखन कार्य शेष है।

नोट:- नक्शे मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित हो चुके हैं।

वर्कस्टेशन:

वर्कस्टेशन शाखा में दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक डिजिटल इण्डिया लैण्ड रेकार्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम (DILRMP) योजना अन्तर्गत चल रहे सर्वे / रिसर्वे कार्य में 11 जिलों व अजमेर जिले की 4 तहसीलों (नसीराबाद, पुष्कर, अजमेर, पीसांगन) के एचआरएसआई ईमेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टडाटा की जाँच का कार्य किया गया है। उक्त अवधि में विभिन्न विभागों की मांग पर एवं सीमाज्ञान के कार्य हेतु विभिन्न ग्रामों के स्केण्ड राजस्व नक्शों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई गई। ओल्ड रिकार्ड शाखा द्वारा चाहे गये सम्बन्धित दस्तावेजों को स्केन कर उनकी हार्ड प्रति उपलब्ध करवाई गई। वर्कस्टेशन द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे ऑफ इण्डिया, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय करते हुए कार्य किया गया। राज्य की ऑनलाइन हुई तहसीलों के डिजिटाईज्ड नक्शों को सरसेक, जोधपुर के माध्यम से जियोरेफरेंसिंग का कार्य करवाया गया। इसके साथ ही समय-समय पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्कस्टेशन द्वारा आधुनिक सर्वे यंत्रों का एवं जीआईएस डेटा बेस से संबंधित जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण:

भू-प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय जयपुर द्वारा डिजिटल इण्डिया लैण्ड रेकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन (DILRMP) कार्यक्रम योजना अनुसार राज्य में प्रशिक्षण एवं योग्यता अभिवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अविध 01.01.2020 से 31.12.2020 तक आधुनिक सर्वे यंत्रों ई.टी.एस., डीजीपीएस, जीआईएस एवं डिजिटाइजेशन जाँच हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त अविध में 7 आई.ए.एस., 1 भूमापक, 465 पटवारी को प्रशिक्षण दिया गया है।

आर.टी.आई:

भू-प्रबंध आयुक्त कार्यालय में प्रथम अपील अवधि 01.01.2020 से 31.12.2020 तक कुल 22 अपील प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 1 अपील प्रकरण निस्तारण से शेष है।

Digital India Land Record Modernization Programme

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक एवं दूरदर्शी पहल Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) योजना भू-प्रबंध विभाग के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। आमजन को प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक लाभ पहुंचाने एवं राजस्व कर्मियों के उपयोग हेतु विभिन्न ऑनलाईन सुविधाएं यथा सॉफ्टवेयर (मोबाईल एप एवं वेब पोर्टल) विकसित करवाये गये हैं। DILRMP योजना अंतर्गत कार्य प्रगति निम्नानुसार हैं:

1. राजस्व रिकॉर्ड का कम्प्युटरीकरण : -

वर्तमान में राज्य की कुल 339 तहसीलों में से आदिनांक तक 264 तहसीलों को ऑनलाईन अधिसूचित किया जा चुका है जिनमें से 263 तहसीलों को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाईन किया जा चुका है।

2. सर्वे / रिसर्वे: -

वर्तमान में राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर) एवं अजमेर जिले की 04 तहसीलों (पुष्कर, पीसांगन, अजमेर, नसीराबाद) का सर्वे / रिसर्वे कार्य आधुनिकतम सर्वे पद्धित HRSI (High Resolution Satellite Imagery) एवं सर्वे उपकरणों जैसे ETS / DGPS के माध्यम से किया जा रहा है। मौके पर ग्राउण्ड कंट्रोल पॉईन्ट की स्थापना की गई है जिनसे भविष्य में भू संबंधी सीमाज्ञान के विवादों का निपटारा करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। राज्य के शेष 22 जिलों में सर्वे / रिसर्वे कार्य करवाए जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.02.2020 को दी गई है।

3. मॉडर्न रिकॉर्ड रूम :

तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से संधारित रखने हेतु राज्य में तहसील स्तर पर मॉर्डर्न रिकॉर्ड रूम बनाये जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत सिविल कार्य, आई.टी. उपकरणों की स्थापना, अन्य उपकरणों की स्थापना से संबंधित कुल चार चरणों में कार्य करवाया जा रहा है।

कुल स्वीकृत 339 तहसीलों में से 218 तहसीलों के चार चरणों में से तीन चरणों का कार्य एवं 08 तहसीलों के चार चरणों तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष में कार्य जारी है।

4. उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण:

राज्य के कुल 539 में से 524 उप पंजीयक कार्यालयों को RajNet / RSWAN के माध्यम से जोड़ा जा चुका है एवं गत दस्तावेज स्कैनिंग की प्रक्रिया प्रगति पर है।

योजना के अंतर्गत राज्य के 539 उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करवाया जा रहा हैं। गत वर्षों के पंजीयन दस्तावेजों को स्कैन करवाया जा रहा है ताकि आमजन को सुगमता से प्रतिलिपियां जारी की जा सके। राजस्व कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य connectivity स्थापित की जा रही है।

5. स्वतः नामान्तरणः

इस प्रावधान हेतु प्रायोगिक तौर पर जयपुर जिले की चौमूं व दूदू तहसीलों का चयन कर दिनांक 26. 04.2019 को किया गया था जिसके उपरांत दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ई-लोकार्पण कर जिला जयपुर की अन्य तहसीलों में भी उक्त प्रावधान को प्रारम्भ कर दिया गया है।

जिला का नाम	तहसील का नाम	कुल रजिस्ट्री	स्वत: रजिस्ट्री से नामांतरण
जयपुर	आमेर	163	82
जयपुर	किशनगढ़ रेनवाल	67	37
जयपुर	कोटखावदा	38	20
जयपुर	कोटपूतली	127	71
जयपुर	चाकसू	70	33
जयपुर	चौमूं	1979	1809
जयपुर	जमवारामगढ़	113	61
जयपुर	जयपुर	36	23
जयपुर	दूद	311	217
जयपुर	पावटा	120	56
जयपुर	फुलेरा	88	66
जयपुर	फागी	122	59
जयपुर	बस्सी	53	26
जयपुर	मौजमाबाद	120	78
जयपुर	विराटनगर	70	48
जयपुर	शाहपुरा	54	31
जयपुर	सॉंगानेर	87	49
	यो	ग 3618	2766

6. कृषि ऋण रहन पोर्टल:

काश्तकारों को कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु उक्त पोर्टल को बनाया गया है जिसमें काश्तकार की Mortgage Application को बैंक के द्वारा अग्रेषित करने एवं म्यूटेशन लगाने से लेकर ऋण मुहैया कराने तक की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही की जा रही है।

दिनांक 26.06.2019 को राजस्व विभाग द्वारा इस पोर्टल को झुन्झुनू जिले में प्रारम्भ किया गया था। | जिला जयपुर की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में उक्त पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.10.2020 को ई-लोकार्पित किया गया। दिनांक 31.12.2020 तक कुल 22,000 से अधिक आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं।

		कल	कल		कल			
क्र.सं.	जिला	कुल तहसील	कुल नामांतरण	पटवारी स्तर पर	भू.अ.नि. स्तर पर	तहसीलदार स्तर पर	कुल निस्तारित	
1.	झुंझुनूं	8	19187	467	163	392	18165	
2.	जयपुर	17	4082	510	229	211	3132	
		कुल	23269	977	392	603	21297	

7. धरा एवं राजस्व अधिकारी मोबाईल एप :-

धरा मोबाईल एप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 19.08.2019 को किया गया था जिससे आम काश्तकार भी अपने भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाईन देख सकता है। धरा एप के माध्यम से आमजन ऑनलाईन तहसीलों की भूमि से संबंधित जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, पदस्थापित राजस्व अधिकारियों की सूची इत्यादि मोबाईल के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व कार्यों का संपादन व प्रकरणों के निस्तारण करने यथा ऑनलाईन गिरदावरी करने हेतु राजस्व अधिकारी मोबाईल एप्लीकेशन विकसित की गई है, जिसके माध्यम से प्रान्त की खरीफ, रबी व जायद—रबी फसलों की गिरदावरी ऑनलाईन ही प्रविष्ट की जाती हैं।

8. ऑनलाईन गिरदावरी:

गत वर्षों की फसल गिरदावरी को उस समय की ऑनलाईन तहसीलों में मोबाईल एप के माध्यम से दर्ज किया गया। वर्तमान में खरीफ फसल की गिरदावरी समस्त ऑनलाईन तहसीलों में निर्धारित समय पर शुरू की जा चुकी है। दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्वत् 2077 की खरीफ फसल से ऑनलाईन गिरदावरी की प्रक्रिया में तहसीलदार स्तर से ई-साईन का प्रावधान किया गया है जिसके उपरांत ऑनलाईन माध्यम से आमजन द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर गिरदावरी की प्रमाणित ई- हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त की जा रही हैं।

क्र.सं.	फसल गिरदावरी – सम्वत्	वर्ष	कुल ऑनलाईन तहसीलें	
1.	खरीफ 2076	2019-20	144	
2.	रबी 2076	2019-20	184	
3.	जायद रबी 2076	2019-20	184	
4.	खरीफ 2077	2020-21	240	

9. P-21 प्रमाणित प्रति :-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 18.12.2020 को नामान्तकरणों की प्रमाणित ई-हस्ताक्षरित प्रति ई-मित्र या ऑनलाईन माध्याम से प्राप्त करने की सुविधा आमजन हेतु ई-लोकार्पित की गई है।

10. जमाबंदी की प्रमाणित प्रति :

आमजन द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से जमाबंदी की ई- हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

11. ऑनलाईन नामान्तरकरण:

माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.01.2020 को ऑनलाईन नामांतरकरण आवेदन प्रस्तुत करने हेतु apnakhata.raj.nic.in पोर्टल पर विमोचन किया गया। वर्तमान में यह सेवा ई मित्र के माध्यम से उपलब्ध है।

क्र.सं.	ई मित्र आवेदन	पोर्टल से आवेदन	कुल आवेदन	कुल निस्तारित	शेष
1.	1496	7912	9408	5425	3983

12. स्वामित्व योजना:

भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में सम्पत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना हैं। राजस्थान राज्य को भी इसमें | सिम्मिलित किया गया हैं। योजना के अंतर्गत राज्य में वर्ष 2020-21 में 85 सतत् प्रणाली सन्दर्भ केंद्र (Continuous Operation Reference Stations) सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से लगवाए जायेंगे। इस हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य एक MoU दिनांक 15.07.2020 को निष्पादित किया गया हैं। राज्य में 85 सतत् प्रणाली सन्दर्भ केंद्र (Continuous Operation Reference Stations) के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन हैं। योजना के अनुसार वर्ष 2021-23 में राज्य के समस्त ग्रामों में नवीनतम ड्रोन | सर्वेक्षण तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन कर प्रॉपर्टी कार्ड जारी किये जाएंगे।

राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी:

ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 13014 / 4 / 2007-LPD दिनांक 02.08.2011 द्वारा DILRMP के तहत सोसायटी के गठन के संबंध में गाईडलाइन जारी की गई। प्रमुख शासन सचिव राजस्व इसके अध्यक्ष एवं भू-प्रबंध आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी का गठन दिनांक | 02.12.2011 को हुआ है। सोसायटी में निम्नलिखित पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं :

कन्सलटेंट -	2
प्रोग्रामर -	1
लेखाकार -	1
सहायक -	1
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर -	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचरी -	1

न्यायालय भू-प्रबन्ध आयुक्त

अपीलों का निस्तारण :-

- जनवरी 2020 में 34 अपील प्रकरण विचाराधीन थे। दिनांक 31.12.20 तक 1 नया प्रकरण प्राप्त हुआ है।
 अपील प्रकरण शेष है। उक्त अविध में किसी भी अपील प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है।
- 2. रेफरेन्स प्रकरण 01.01.2020 में 26 प्रकरण विचाराधीन थे। दिनाक 31.12.2020 तक 16 नए रेफरेन्स प्रकरण प्राप्त हुए हैं। कुल 42 रेफरेन्स प्रकरण शेष हैं। उक्त अवधि में किसी भी रेफरेन्स प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही:

विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 में कुल 8 प्रकरणों में 2 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 6 प्रकरण शेष हैं।

सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत 01.01.2020 से 31.12.2020 में कुल 5 प्रकरणों में से 1 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में 4 प्रकरण शेष है। भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितता के मामले में विभाग का कोई कार्मिक निलम्बित नहीं चल रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग को दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक कुल 225 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमे से 221 का निस्तारण किया जा चुका है एवं 4 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

ओल्ड रिकार्ड शाखा:

विभाग की ओल्ड रिकार्ड में काश्तकारों द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.01.20 से 31.12.2020 तक कुल 5714 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 5700 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है, 14 आवेदन पत्र शेष हैं।

समीक्षाधीन वर्ष में ओल्ड रिकार्ड में कुल 40 प्रार्थना पत्र अभिलेख अवलोकन के प्राप्त हुए है जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

पदोन्नति की वर्तमान स्थिति वर्ष 2020-21

क्र.सं.	पदोन्नत पद	डीपीसी की स्थिति
1	निरीक्षक से सदर मुंसरिम	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है
2	भू-मापक से निरीक्ष	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वर्ष 2019-20 की रिव्यू डीपीसी होने से भू-मापकों / निरीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की जा रही है, पश्चात् समिति की बैठक नियत की जानी है।
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	पदोन्नति की जा चुकी है।
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है
5	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाहा गया है, उच्च पद पर पदोन्नित होने के फलस्वरूप रिक्त पदों के अनुसार पदोन्नित की कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
6	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	पदोन्नित की कार्यवाही शीघ्र की जानी है। वर्ष 2018-19 की रिव्यू डीपीसी होने से कनिष्ठ / विरष्ठ सहायकों की अंतिम विरष्ठता सूची प्रसारित की जा रही है, पश्चात् उच्च पद पर पदोन्नित होने के फलस्वरूप रिक्त पदों के अनुसार पदोन्नित की कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
7	कनिष्ठ प्रारूपकार से वरिष्ठ प्रारूपकार	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है।
8	अनुरेखक से कनिष्ठ प्रारूपकार	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है।
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक	किनष्ठ सहायकों की वर्ष 2018-19 की रिव्यू डीपीसी हो चुकी है। उच्चतर पद पर पदोन्नति होने के पश्चात् नियत कोटे अनुसार रिक्त पद की गणना की जाकर पदोन्नति की जावेगी।
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है।
11	वरिष्ठ निजी सहायक से निजी सचिव	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से पद रिक्त ।
12	निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक	पदोन्नति की जा चुकी है।
13	शीघ्र लिपिक (स्टेनोग्राफर) से निजी सहायक	शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। उच्च पद पर पदोन्नित कार्मिक की उपस्थिति पश्चात् उक्त रिक्त पद पर पदोन्नित की कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वाहन चालक	पद रिक्त नहीं।

भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर

वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु स्वीकृत/संशोधित बजट प्रावधान व व्यय का विवरण राशि रूपये लाखों में

क्र. सं.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2021—22	व्यय का विवरण 01. 04.2021 से 21.12.2021	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या—8 2029—भू—राजस्व, 102—सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, (01)—प्रधान कार्यालय (आयोजना भिन्न)			
	01—संवेतन	660.00	390.57	
	03—यात्रा व्यय	4.00	0.60	
	04—चिकित्सा व्यय	5.80	1.26	
	05—कार्यालय व्यय (नवीन व्यय)	30.00	9.75	
	06—वाहनों का क्रय	14.00	0.00	
	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	0.60	0.48	
	21—अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	3.00	0.00	
	29—प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	5.50	0.22	
	32—डिक्रीकर (प्रभृत)	0.01	0.00	
	36–वाहनों का किराया	0.01	0.00	
	37—वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.33	0.28	
	41—संविदा सेवाएं 62—कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	5.50 0.01	4.57 0.00	
	योगः- दत्तमत प्रभृत	728.75	407.73	
2.	(02) जिला कर्मचारी वर्ग—प्रतिबद्ध			
	01—संवेतन	5000.00	2166.83	
	02- मजदूरी	2.50	0.00	
	03- यात्रा व्यय	60.00	11.53	
	04— चिकित्सा व्यय	30.00	3.55	
	05— कार्यालय व्यय	40.00	18.28	
	09— किराया, रेट और कर / रॉयल्टी	12.60	5.28	
	18— मशीनरी और साज सामान	0.01	0.00	
	21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मैन्टीनेन्स)	5.00	1.41	
	36— वाहनों का किराया	40.00	18.51	
	37— वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	1.03	0.53	
	39— मुद्रण व्यय	1.00	0.00	
	41— संविदा व्यय	0.01	0.00	
	62— कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	0.01	0.00	
	योग :- दत्तमत	5192.16	2225.95	


सं. 1 3.	बजट शीर्ष मय उपमद 2 2029—भू—राजस्व, 103—भू—अभिलेख, (04)—भू—अभिलेख सुधार योजना (भू—प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से)	राज्यनिधि 3	केन्द्रीय सहायता	योग 5	01.2021 तक व्यय
	2029—भू—राजस्व, 103—भू—अभिलेख, (04)—भू—अभिलेख सुधार योजना (भू—प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से)	3	4	5	
3.	103—भू—अभिलेख, (04)—भू—अभिलेख सुधार योजना (भू—प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से)				
	(04)—भू—अभिलेख सुधार योजना (भू—प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से)				
	(भू—प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से)				
	(02)—भू—प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण				
	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)				
-	12— सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	-	0.01	0.01	-
	18— मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	-	0.01	0.01	-
	40— अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	0.00	0.01	0.01	-
	62— कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	92— सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	-	0.01	0.01	-
	योग	0.00	0.05	0.05	
4.	2029 भू—राजस्व				
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
	(01) आयुक्त भू—प्रबंध विभाग के माध्यम से (01) भू—प्रबंध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)				
	18— मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	-	0.01	0.01	-
	40— अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62— कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	योग	-	0.03	0.03	-
5.	2029 भू—राजस्व				
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना				
	(01) भू—प्रबंध विभाग के माध्यम से				
	(01) भू—प्रबंध विभाग का आधुनिकीकरण				
-	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) 18— मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र		0.01	0.01	
		-	0.01	0.01	-
	40- अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62— कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	योग	-	0.03	0.03	-
6.	2029 भू—राजस्व				
	103 भू—अभिलेख				
	(09) वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला				
	(01) वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला 18— मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	70.85	0.01	70.86	_
	40- अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	0.00	0.01	0.01	-
	62— कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0.01	0.01	0.02	-
	योग	70.86	0.03	70.89	_

क्र.स.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2020—21	व्यय का विवरण 01.04. 2020 से 04.01.2021 तक	विशेष विवरण
1.	बजट शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य, 80—सामान्य, 053—रख रखाव तथा मरम्मत, 23—भू–प्रबन्ध विभाग. के माध्यम से (आयोजना मिन्न)			
	21— अनुरक्षण एवं मरम्मत	25.00	15.07	
	योग :-	25.00	15.07	
	बजट शीर्ष 4059— लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय 80— सामान्य, 051—निर्माण, (52)—सामान्य			
	17— वृहद् निर्माण (आयोजना)	30.09	0.59	
	योग :	30.09	0.59	

परिशिष्ट 'अ'

भू-प्रबन्ध विभाग संगठन का ढांचा

भू प्रबन्ध आयुक्त



क्षेत्रीय कार्यालय

क्र.सं.	भू—प्रबन्ध अधिकारी	भू—प्रबन्ध अधिकारी	स.भू.प्र.अ. आर.ए.एस.	स.भू.प्र.अ. आर.टी.एस.	स.मु.	निरीक्षक	भू—मापक
1.	जयपुर	1	2	3	1	25	100
2.	भरतपुर	1		4	1	15	60
3.	अजमेर	1		3	1	14	60
4.	बीकानेर	1	1	3	1	15	60
5.	अलवर	1		4	1	17	62
6.	कोटा	1		3	1	15	60
7.	सीकर	1		4	1	15	60
8.	जोधपुर	1	1	2	1	15	59
9.	उदयपुर	1	1	2	1	15	60
10.	टोंक	1		3	1	15	60
11.	भीलवाडा	1		3	1	14	59
	योग	11	5	34	11	175	700

नोट :- इस विभाग में निरीक्षक एवं भू-मापकों के रिक्त पदों को डाईंग कैडर घोषित किया जा चुका है।

गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र. सं.	आईटम	यूनिट	लक्ष्य वर्ष 01.01.17 से 31.12.17	उपलब्धियां 01.01.17 से 31.12.17	लक्ष्य वर्ष 01.01.18 से 31.12.18	उपलब्धियां 01.01.18 से 31.12.18	लक्ष्य वर्ष 01.01.19 से 31.12.19	उपलब्धियां 01.01.19 से 31.12.19	लक्ष्य वर्ष 01.01.20 से 31.12.20	उपलब्धियां 01.01.20 से 31.12.20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सर्वेक्षण	वर्ग किलोमीटर	104.04	_	_	_	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	_	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	_
2	तरमीम सर्वे	वर्ग किलोमीटर	143.54	1.39		2200 ख0न0	_	_	_	_
3	रकबा बरारी कार्य	खसरा नम्बर	94438	47802	19335	5535	_	_	_	_
4	मिलान क्षैत्रफल सर्वे	खसरा नम्बर	75361	18971	17708	10890	_	_	_	_
5	मिलान क्षैत्रफल तरमीम	खसरा नम्बर	26590	12142	3957	4120	_	_	_	_
6	अभिलेखन	खसरा नम्बर	106238	43797	18904	27816	_	_	_	_
7	भूमि वर्गीकरण कार्य	खसरा नम्बर	80876	30230	30729	32468	_	_	_	_
8	तरतीब कार्य	खसरा नम्बर	68397	27339	16518	24819 तथा 5120 खाते	_	_	-	_
9	तैयारी पर्चा खतौनी	खसरा नम्बर	89888	28373	11721	29877 तथा 900 खाते	_	_	_	_
10	पर्चा खतौनी तस्दीक	खसरा नम्बर	89638	40629	11721	26707 तथा 4637 खाते	_	_	_	_
11	तैयारी मिसल बंदोबस्त	खसरा नम्बर	99663	46793	32472	52644	_		_	_
12	ट्रेस तैयारी	खसरा नम्बर	29064	29299	66392	18841	_	_	_	_

पारम्पारिक पद्धति में उपलब्धियों में कमी के कारण

- 1. पटवार तरमीम अप्राप्त, राजस्व विभाग की त्रुटियों एवं बदरों का निस्तारण नहीं होना एवं आदिनांक सेग्रीगेटेड राजस्व जमाबन्दी अप्राप्त होना।
- 2. मतदाता सूची बीएलओ कार्य में स्टाफ कार्यरत होना एवं सीमाज्ञान में राजस्व विभाग को तकनीकी सहयोग में स्टाफ उपलब्ध करवाना।
- 3. आर. टी. एस. एवं पटवारीगण को प्रशिक्षण में स्टाफ कार्यरत होना।
- 4. भू-मापकों के पद रिक्त होना।
- 5. DILRMP अन्तर्गत जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसील कार्यालयों में एजेन्सी के साथ तरमीम इत्यादि में कार्मिको का कार्यरत रहना।
- 6. DILRMP योजना अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा सर्वे / रि-सर्वे कार्य में कार्मिकों का कार्यरत होना।
- 7. भू-प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों के यथास्थिति बन्द घोषित होने के कारण।
- 8. पारम्परिक पद्धित का कार्य समाप्त प्राय है तथा वर्तमान में DILRMP योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं अजमेर जिले की चार तहसीलें (पुष्कर पीसांगन, अजमेर, नसीराबाद) में सर्वे / रिसर्वे का कार्य भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है।

राजस्थान सरकार कार्यालय जागीर एवं खुदकाश्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 01.01.2020 से 31.12.2020

भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन जागीर आयुक्त है। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन अतिरिक्त जागीर आयुक्त का पद स्वीकृत है। मुख्यालय पर दो विरष्ठ लिपिक हैं, एक किनष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जिले में जागीर सम्बन्धी कार्य अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) देखते हैं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अपने स्टाफ से ही जागीर सम्बन्धी कार्य लेते हैं। जागीर पुनर्ग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जागीर पुनर्ग्रहण संबंधी कार्य का विवरण	लंबित प्रकरण	निर्णित	अवशेष
1.	मुआवजे दावे से संबंधित प्रकरण	03	0	03
2.	निजी सम्पति से संबंधित प्रकरण	17	0	17
3.	खुदकाश्त भूमि आंवटन से संबंधित प्रकरण	45	0	45
4.	उत्तराधिकारी नियुक्त कैसेज			20
5.	मुआवजे के रूप में भूतपूर्व जागीरदारों को बॉण्डस			₹. 19,75,990.19
	के पेटे भुगतान करना शेष			

सार-संक्षेप (EXECUTIVE SUMMARY)

सर्वेक्षण एवं भू—अभिलेख तैयार करने में भू-प्रबंध विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भू-प्रबन्ध विभाग पारम्परिक पद्धित से सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी के रूप में कार्य करता है सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य के सम्पादन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम-1957 एवं सुसंगत नियमों में प्रावधान निहित है। भू-प्रबन्ध विभाग तकनीकी कार्य के अन्तर्गत राजस्व एजेन्सी द्वारा जिटल प्रकरणों (सीमाज्ञान) में भू-प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा जिटल प्रकरणों का निस्तारण पारम्परिक पद्धित एवं आधुनिक पद्धितयों से कर रहा है।

वर्तमान में विभाग पारम्परिक पद्धित से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहा है। इस हेतु DILRMP के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य के 11 जिले क्रमशः टोंक. भीलवाड़ा, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, राजसमन्द, जोधपुर, बासंवाड़ा एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी राशि से अजमेर जिले की 4 तहसीलें अजमेर, पुष्कर, पीसांगन व नसीराबाद में सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान में STI के मार्फत ट्रेनिंग दी जाकर कार्मिकों को आधुनिक तकनीक से होने वाली सर्वे पद्धित से दक्ष किया जा रहा है।

DILRMP के आधुनिक पद्धित से किये गये सर्वेक्षण एवं अभिलेखन से आमजन / कृषकों को भू-अभिलेख आदिनांकित होकर एकल खिड़की पर उपलब्ध हो सकेगा। इस पद्धित से किया गया सर्वेक्षण / नक्शें धरातलीय विशिष्टियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा एवं भू-अभिलेख भू-स्वामित्व का सही चित्रण करने वाला होगा | DILRMP परियोजना के क्रियान्वयन में यह विभाग Nodal Department का कार्य कर रहा है। मैप डिजिटाइजेशन कार्य राज्य की सभी तहसीलों में किया जा रहा है। अब तक 263 तहसीलों के अभिलेख एवं नक्शों को ऑनलाइन किया जा चुका है। इसी भांति राज्य की 218 तहसीलों में आधुनिक अभिलेखागार तैयार किये गये हैं।